झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (विविध) 17/2021—

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

राँची, दिनांकः—

विषयः— **राँची जिले के विभिन्न प्रखण्डों के विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं रहने के सम्बन्धी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार—पत्र ***"दैनिक जागरण"*** में दिनांक—21.04.2022 को राँची जिलान्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं रहने एवं स्कूली बच्चों को दूषित एवं गंदा पाने पीने के लिये मजबूर होने से सम्बन्धित समाचार—पत्र प्रकाशित हुई है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 की धारा—31 में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा खाद्य एवं पोषाहार सम्बन्धी सुरक्षा को अग्रसार करने के प्रयोजन से अनुसूची—3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास किये जाने हेतु प्रावधान का उल्लेख है। अधिनियम की अनुसूची—3 की कंडिका—3 (क) में "सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता" के सम्बन्ध में उल्लेख है।

अतः उक्त मामले में प्रकाशित समाचार—पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि राँची जिलान्तर्गत सभी विद्यालयों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/—
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक— रा0खा0आ0 (विविध) 17/2022— 479 राँची, दिनांक— 27.05.2022

प्रतिलिपिः— सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। निदेशानुसार अनुरोध है कि राज्य के सभी विद्यालयों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx128